न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या: 158 / 2021
निर्णय दिनांक: 12.01.2024

उनवान

नेहना देवी पत्नी परसादी लाल मीणा, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील व जिला दौसा।

वादिया

बनाम

1. गीता पुत्री मूलचन्द
2. छोटा पुत्री मूलचन्द
3. जगदीश पुत्र मूलचन्द
4. शंकर पुत्र मूलचन्द
5. सीमा पुत्री मूलचन्द
6. प्रभू पुत्र गोकुल
7. सुरेश पुत्र रामू
8. राधा देवी पत्नी नारायण
   समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. बीरबल पुत्र जगदीश, निवासी नाडा की ढाणी, दयालपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, सांगानेर, जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादिया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादिया अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादिया द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया, वादिया उक्त भूमि की सहखातेदार है एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है। बहस वादिया अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादिया का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 23.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./डि[illegible]/7647 दिनांक 02.11.2023 संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों [illegible] की जो शामिल मिसल है। वकील वादिया अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई। वादिया अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति दिये जाने से वादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 2016 रकबा 1.86 है0, खसरा नम्बर 2017 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2018 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 2021 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 2022 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2023 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 2024 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.29 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 4.05 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2037	1.86 0.06 0.04 0.03 0.09 0.12 0.55 0.64 0.37 0.29	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1		गीता पुत्री मूलचन्द हिस्सा 1/240 जाति मीणा सा.देह खातेदार, छोटा पुत्री मूलचन्द हिस्सा 1/240 जाति मीणा सा.देह खातेदार, जगदीश पुत्र मूलचन्द हिस्सा 9/160 जाति मीणा सा.देह खातेदार, नेहना देवी पत्नि परसादीलाल हिस्सा 1/8 जाति मीणा नि. रानसिंहपुरा, तहसील व जिला दौसा खातेदार, प्रभू पुत्र गोकुल हिस्सा 101/270 जाति मीणा सा.देह खातेदार, बीरबल पुत्र जगदीश हिस्सा 17/135 जाति मीणा सा. नाडा की ढाणी, दयालपुरा, सांगानेर खातेदार, राधा देवी पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 जाति मीणा सा.देह खातेदार, शंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 9/160 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, सुरेश पुत्र रामू हिस्सा 1/8 जाति मीणा, सा. देह खातेदार, सीमा पुत्री मूलचन्द हिस्सा 1/240 जाति मीणा, सा. देह खातेदार
	किता–10	4.05			

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का [illegible]	[illegible]
1	2037 2022 में से 2023 में से	0.2900 0.18625 0.0100	नेहना देवी पत्नि परसादी लाल [illegible] मीणा, निवासी [illegible] [illegible] जिला दौसा खातेदार	
	किता–03	0.48625		
2	2024 में से 2023 में से	0.3700 0.1200	बीरबल पुत्र जगदीश, जाति मी[illegible] निवासी नाडा की ढाणी, दयालपुरा, तहसील सांगानेर खातेदार	
	किता–02	0.4900		

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

3	2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 में से 2023 में से	1.8600 0.0600 0.0400 0.0300 0.0900 0.1200 0.36375 0.4700	गीता पुत्री मूलचन्द हिस्सा 9/1618, जाति मीणा सा.देह खातेदार, छोटा पुत्री मूलचन्द हिस्सा 9/1618 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, जगदीश पुत्र मूलचन्द हिस्सा 243/3236 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, प्रभू पुत्र गोकुल हिस्सा 404/809 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, राधा देवी पुत्री नारायण हिस्सा 135/809 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, शंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 243/3236 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, सुरेश पुत्र रामू हिस्सा 135/809 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, सीमा पुत्री मूलचन्द हिस्सा 9/1680 जाति मीणा, सा.देह खातेदार	
	किता–08	3.03375		
4	2023 में से	0.0400	नेहना देवी पत्नि परसादी लाल, जाति मीणा, हिस्सा 1/2 निवासी रामसिंहपुरा, तहसील व जिला दौसा खातेदार, बीरबल पुत्र जगदीश, जाति मीणा, हिस्सा 1/2 निवासी नाडा की ढाणी, दयालपुरा, तहसील सांगानेर खातेदार	
	किता–01	0.0400		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)
[illegible] (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested